



Neutral Citation No- 2026:AHC:16356

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 793/2026

रजत कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अंकित सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें प्रार्थना है कि (i) उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क (वर्ग-III/समूह-सी) के पद पर याचिकाकर्ता पर विचार करने और नियुक्त करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार के आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति कोटा के तहत, उनके आवेदन दिनांक 07.07.2018 के संदर्भ में और 2024 की रिट-ए संख्या 16118 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.01.2025 के आदेश के अनुपालन में, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली समयावधि के भीतर; (ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया हो कि वे याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति कोटा के तहत लिपिक पदों पर नियुक्त किए गए अन्य समान रूप से स्थित आश्रितों के समान व्यवहार करें और ऐसी नियुक्ति की तारीख से सभी परिणामी सेवा और मौद्रिक लाभों का विस्तार करें और



प्रतिनिधित्व दिनांक 03.02.2025 का भी निर्णय लें, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के 05.02.2025 और 16.11.2025 के मामले में एक मामला दर्ज किया गया है; (iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, नए सिरे से फाइल करने की स्वतंत्रता के साथ अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया जाता है।

22 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)